"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 अप्रैल 2018 —— चैत्र 12, शक 1940

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2–62/दो–गृह/रापुसे/2017. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विशेष शाखा आरक्षक संवर्ग सेवा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.–(1) ये नियम छत्तीसगढ़ विशेष शाखा आरक्षक संवर्ग सेवा भर्ती नियम, 2018 कहलायेंगे।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
   (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
   (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है सहायक पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता);
   (ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 12 के अधीन भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
   (ग) "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है शारीरिक माप तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा;
   (घ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ–8–5–पच्चीस–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
   (ङ.) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
   (च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
   (छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
   (ज) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है लिखित परीक्षा;
   (झ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ विशेष शाखा आरक्षक संवर्ग सेवा;
   (ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना.– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. चयन समिति.– (1) इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए पुलिस महानिरीक्षक या उप पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), निम्नलिखित चयन समिति का गठन करेंगे, अर्थात् :–

(एक)	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता)	– अध्यक्ष
(दो)	एक अधिकारी, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो	–सदस्य
(तीन)	एक अधिकारी, जो उप पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो	– सदस्य

परन्तु उपरोक्त उल्लिखित दो सदस्यों में से चयन समिति का एक सदस्य, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की अनुपलब्धता की दशा में, चयन समिति हेतु अन्य इकाईयों के समतुल्य श्रेणी के अधिकारियों पर विचार किया जा सकेगा।

(2) शारीरिक माप तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के अभिलेख (रिकार्ड) रखने के प्रयोजन हेतु चयन समिति के अध्यक्ष, अपनी आवश्यकतानुसार सह–समिति का गठन करेंगे। उपरोक्त गठित सह–समिति के सदस्य, मूल्यांकन अभिलेख के प्रमाणिकता हेतु उत्तरदायी होंगे। वांछित मामले में, चयन समिति पुनः माप करने हेतु स्वतंत्र होगी।

(3) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता), सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, उपर्युक्त उल्लिखित चयन समिति से भिन्न चयन समिति गठित कर सकेंगे।

7. भर्ती का तरीका.–

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:–

(क) चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों भरने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती के तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी।

(3) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(4) भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा के लिये शासन या संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में आवेदन करना होगा तथा पद, जिसके लिये आवेदन कर रहा हो, का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

(5) यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, कोई पूर्व सूचना दिये बिना, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

(6) उप–नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतियोगी परीक्षा हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात्:–

(एक) आवेदन पत्रों की छानबीन :– प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन के पश्चात् ऐसे अभ्यर्थी, जो इन नियमों में उल्लिखित समस्त मानदण्डों को पूरा करते हों, को चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में भाग लेने हेतु अनुज्ञात किया जायेगा। आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के पश्चात् समस्त प्रक्रिया यथासंभव कम्प्यूटराईज्ड होगी।

(दो) शारीरिक माप का मूल्यांकन:– प्रथम चरण के अन्तर्गत, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके आवेदन पत्र एवं दस्तावेज सही पाये जायें तथा जो मानदण्डों को पूरा करते हों, का शारीरिक माप (आंखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर) किया जायेगा। आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र, केवल उन अभ्यर्थियों को ही जारी किया जायेगा जो परीक्षा में सफल हुए हों।

(तीन) शारीरिक दक्षता परीक्षा:– (अ) शारीरिक दक्षता परीक्षा, कुल 100 अंकों का होगा और जिसमें निम्नानुसार अंक दिये जायेंगे,–

(क) लम्बी कूद – 20 अंक

(ख) ऊंची कूद – 20 अंक

(ग) गोला फेंक – 20 अंक

(घ) 100 मीटर दौड़ – 20 अंक

(ङ) 800 मीटर दौड़ – 20 अंक

और अनुसूची–तीन के अनुसार अंक आबंटित किये जायेंगे।

(ब) प्रत्येक प्रतिस्पर्धाओं हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा तथा अभ्यर्थियों के लिये समस्त प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना अनिवार्य होगा।

(स) परीक्षा में सफल होने के लिये अभ्यर्थी को विहित 100 अंकों में से अपेक्षित न्यूनतम अंक निम्नानुसार दिये जायेंगे,–

(क) अनारक्षित के लिये 60%, और

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 50% अंक।

(द) यदि कोई अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से संतुष्ट न हो तो वह चयन समिति के समक्ष अपील कर सकेगा, जिसका तत्काल निराकरण किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(ई) शारीरिक दक्षता परीक्षा, दिन के समय अर्थात् सूर्योदय तथा सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी में आयोजित किया जायेगा।

(फ) शारीरिक दक्षता परीक्षा के तत्काल अभिलेख (रिकार्ड) रखने, किन्हीं विवादों के निराकरण करने तथा लिखित परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र के रूप में उपयोग करने के लिये एक बहुउद्देशीय कार्ड संधारित किया जायेगा। इस कार्ड का उपयोग करना अनिवार्य है।

(चार) लिखित परीक्षा– (1) (अ) विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के पन्द्रह गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा। लिखित परीक्षा की मेरिट सूची, शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर श्रेणीवार तैयार की जायेगी।

(ब) एक समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी लिखित परीक्षा की पात्रता होगी, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या, विज्ञापित रिक्तियों से 15 गुना से अधिक हो जाये।

(स) लिखित परीक्षा, कुल 100 अंकों का होगा तथा इसकी अवधि 02 घंटे की होगी। जिसमें सामान्य ज्ञान, अंक गणित, बुद्धि क्षमता तथा विश्लेषण क्षमता से संबंधित बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे।

(2) प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों द्वारा इंक पेन से लिखे जायेंगे। लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने वाले अधिकारी प्रत्येक उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करेंगे। उक्त दो परीक्षाओं के प्रश्नपत्र एवं आदर्श उत्तर, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक की श्रेणी के अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे। लिखित परीक्षा का आयोजन विभागीय अथवा शासन द्वारा नियुक्ति/प्राधिकृत एजेंसी के द्वारा किया जा सकेगा।

(3) आरक्षक (चालक) के पद हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के पास भारी वाहन चालन लाइसेंस होना आवश्यक है तथा उन्हें, संबंधित ट्रेड परीक्षा में उपस्थित होना होगा, जिसके 100 अंक होंगे।

(4) (अ) ट्रेड परीक्षा हेतु, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), तीन सदस्यीय सह–समिति का गठन करेंगे तथा उक्त सह–समिति में इस ट्रेड के एक अनुभवी कर्मचारी का होना आवश्यक होगा।

(5) ट्रेड पद के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से छूट दी जायेगी तथा उन्हें बोनस अंकों की भी पात्रता होगी।

(पांच) बोनस अंक– (1) निम्नलिखित शीर्ष के लिये दस बोनस अंक दिये जायेंगे। तथापि, अभ्यर्थी बोनस अंक के रूप में दस अंक से अधिक प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे, भले ही वे नीचे उल्लिखित दो से अधिक विशेष योग्यता धारण करते हों, अर्थात्:–

(अ) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता (राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता, जिसका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है) तथा केवल विजेता अभ्यर्थी को ही बोनस अंक की पात्रता होगी;

(ब) मोटर वाहन चालन के लिये "भारी वाहन" चालन लाइसेंस धारक (केवल आरक्षक जीडी एवं सहायक आरक्षक के लिए);

(स) एन.सी.सी. "सी" प्रमाणपत्रधारी;

(द) कम्प्यूटर में डिप्लोमा (केवल तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाणपत्र ही मान्य किये जायेंगे)।

(2) कम्प्यूटर साइंस/इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी/माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में तकनीकी शिक्षा के मान्यता प्राप्त मंडल या राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिप्लोमा प्रमाणपत्र।

(3) कम्प्यूटर साइंस/इन्फार्मेशन टेक्नॉलॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी पीजी डिप्लोमा, स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।

(4) डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड एक्रेडीटेशन ऑफ कम्प्यूटर क्लॉसेस (DOEACC) सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा जारी विभिन्न डिप्लोमा प्रमाणपत्र।

(5) कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम सहायक में मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी एक वर्षीय प्रमाणपत्र।

(छ:) चयन सूची– (1) कुल अंक 200 होगा तथा बोनस के 10 अंक की गणना पृथक से की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक, लिखित परीक्षा 100 अंक एवं बोनस के 10 अंक के आधार पर (केवल पात्रतानुसार) चयन सूची तैयार की जायेगी।

(2) सर्वप्रथम, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से, अनारक्षित पदों के लिये पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को भी इस सूची में शामिल किया जायेगा, जो मेरिट के आधार पर पात्र हों तथा अनारक्षित पदों की सभी अर्हतायें पूरी करते हों। शेष अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की उनके संबंधित जाति प्रवर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों हेतु पृथक पृथक सूचियां तैयार की जायेंगी।

(सात) होमगार्ड के लिये 25%, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10% तथा महिलाओं के लिये 30% आरक्षण के लिये क्रियान्वयन की प्रक्रिया– उपरोक्त चयन सूची के तैयार किये जाने के पश्चात् होमगार्ड एवं भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण का श्रेणीवार क्रियान्वयन लागू किया जायेगा,–

(अ) होमगार्ड (नगर सैनिक)–(क) होमगार्ड के लिये 25% आरक्षण रहेगा।

(ख) यदि उपरोक्त सूचियों में 25% आरक्षण हेतु होमगार्ड के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो ऐसे सभी होमगार्ड के अभ्यर्थियों, जो परीक्षा में उपस्थित हुए हों, के लिये पृथक से मेरिट सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार पृथक से तैयार की गई सूची से, 25% आरक्षण की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या, मेरिट के आधार पर चयनित किये जायेंगे, जिनके नाम अनारक्षित एवं आरक्षित संवर्ग के पूर्वोक्त चयन सूची में सम्मिलित किये जायेंगे। केवल तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले होमगार्ड को ही, होमगार्ड (नगर सेना) कोटे में आरक्षण की पात्रता होगी।

(ब) भूतपूर्व सैनिक– (क) भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10% श्रेणीवार आरक्षण होगा।

(ख) उपरोक्त उल्लिखित प्रतिस्थापना प्रक्रिया भी केवल उसी संवर्ग के लिये होगी, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों की 10% संख्या न हो।

टीपः– होमगार्ड एवं भूतपूर्व सैनिकों के शेष पद, आगामी वर्ष के लिये अग्रनित नहीं होंगे, यदि आरक्षण के लिये पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में, रिक्त पदों को अन्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(स) महिला– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जायेगा। अतः महिलाओं के लिये आरक्षित पदों हेतु पृथक सूची तैयार की जायेगी तथा पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में, रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रनित नहीं होंगे और ऐसे श्रेणीवार रिक्त पदों को उक्त श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगाः

परन्तु यह कि विभाग, केबिनेट के पूर्व अनुमोदन से, 30% की सीमा को 10% तक घटा सकेगा।

(सात) चयन सूची का अनुमोदन– (1) परीक्षा के आयोजन के पश्चात् तत्काल चयन सूची तैयार की जायेगी तथा उसे पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित शेड्यूल (कार्यक्रम) के अनुसार, समस्त आवश्यक अभिलेख के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता)/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) को उनके अनुमोदन हेतु भेजी जायेगी।

(2) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता)/पुलिस महानिरीक्षक /पुलिस उप महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित शेड्यूल (कार्यक्रम) के अनुसार, चयन सूची के परीक्षण उपरान्त अनुमोदन आदेश जारी करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता)/पुलिस उप महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), अनुमोदन के समय निम्नलिखित परीक्षण करेंगे कि–

(क) क्या भर्ती नियमानुसार की गई है?

(ख) क्या भर्ती में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है?

(ग) भर्ती के दौरान कोई गंभीर अनियमितता या ऐसी शिकायत तो सामने नहीं आई, जो प्रथमदृष्टया सही प्रतीत होती हो?

(घ) कोई अन्य स्व–स्पष्ट चूक, त्रुटि या लापरवाही तो परिलक्षित नहीं हो रही है?

परन्तु यह कि पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता)/पुलिस उप महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), भर्ती को निरस्त करने का आदेश जारी कर सकेंगे यदि वे उपरोक्त उल्लिखित किन्हीं प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट न हों। उक्त निरस्तीकरण आदेश पुलिस मुख्यालय को भी पृष्ठांकित की जायेगी। केवल अंक गणितीय चूक के आधार पर भर्ती का निरस्तीकरण तभी प्रभावी होगा, जब यह स्पष्ट हो जाये कि इसके कारण अभ्यर्थियों के चयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रमाण रहित शिकायतों के आधार पर अथवा जनचर्चा के आधार पर भर्ती निरस्त नहीं की जायेगी।

(3) चयन सूची, या तो पूर्णतः अनुमोदित की जायेगी अथवा पूर्णतः निरस्त की जायेगी। पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता)/उप पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनःपरीक्षा के लिये आदेश जारी करने हेतु समर्थ नहीं होंगे। अनुमोदन के पूर्व, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता)/उप पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), सभी आवश्यक अभिलेख एवं कच्चा कार्य, उसके परीक्षण के लिये मंगा सकेंगे।

8. सेवा में नियुक्ति.— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में सभी नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी तथा कोई भी नियुक्ति नियम 7 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं। नियुक्ति आदेश, चयन सूची में वरिष्ठता के क्रम में जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण, नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व किया जायेगा। चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप न होने और शारीरिक स्वस्थता विहित मापदण्ड के अनुसार होने की पुष्टि के पश्चात् ही अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा तथा अभ्यर्थी को विशेष शाखा जोन में आमद देने का आदेश दिया जायेगा।

(2) सेवा में सीधी भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, जिलों/इकाइयों के रोस्टर के संबंध में लागू होंगे।

9. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.— सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(1) आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी होना चाहिये।

(2) अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।

(3) आयु— (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो ''भूतपूर्व सैनिक'' हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण—शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गयी हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) आयु में छूट के संबंध में क्रीड़ा नीति के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्रों के उपबंधों का अनुपालन किया जायेगा।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा, 36 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों द्वारा की गई सेवा की अवधि के लिये अधिकतम 8 वर्ष के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों को उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, अर्थात् उस नगर सैनिक तथा नॉन कमीशंड अधिकारी, जिसने एक वर्ष की सेवा कर ली हो उसे अधिकतम एक वर्ष की छूट दी जायेगी, जिसने दो वर्ष की सेवा कर ली हो उसे कुल दो वर्ष की और ऐसे ही, उनके द्वारा पूर्ण की गई सेवा अवधि के अनुसार छूट दी जायेगी।

(ञ) आयु में छूट के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्र के उपबंध भी लागू होंगे।

टीप— ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 9 के खण्ड (3) के उप—खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(4) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी।

(5) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(6) शासकीय/अर्द्ध शासकीय अथवा भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में अनुशासन, अयोग्यता अथवा चिकित्सीय आधार पर सेवा से हटाये गये सेवारत अथवा भूतपूर्व कर्मचारी इस सेवा के अयोग्य होंगे।

स्पष्टीकरण– उच्चतर आयु सीमा में छूट का लाभ, संविदा पर या शासन के मानदेय आधार पर कार्य करने वाले अन्य स्वयंसेवकों या कर्मचारियों या शिक्षा कर्मियों या पंचायत कर्मियों को लागू नहीं होगा।

(7) शारीरिक अर्हता– अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक अर्हतायें होनी चाहिए, अर्थात् :–

(क) ऊंचाई–

(एक) 168 सेमी या उससे अधिक (अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनरक्षित वर्गों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये);

(दो) 153 सेमी या उससे अधिक (राजस्व जिले दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जशपुर के अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों के लिये);

(तीन) 158 सेमी या उससे अधिक (शेष राजस्व जिलों के अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों तथा सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(ख) सीना–

(एक) बिना फुलाये 81 सेमी (अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 76 सेमी) तथा फुलाने पर 86 सेंमी (अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 81 सेमी), अभ्यर्थी के सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेमी का अन्तर होना चाहिए तथा इस संदर्भ में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। महिला अभ्यर्थियों को इस शारीरिक अर्हता से छूट होगी।

टीप– (1) विशेष मामलों में, खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन शारीरिक मापदण्ड के संबंध में केवल पुलिस महानिदेशक द्वारा ही छूट दी जा सकेगी।

(2) ऊंचाई एवं सीने की माप के लिए, भर्ती अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से निःशक्त (दिव्यांग) नहीं होना चाहिये।

(घ) अभ्यर्थी में फ्लेट फुट या नॉकनी नहीं होना चाहिये। नॉकनी एवं फ्लेट फुट संबंधी अर्हतायें, समस्त पदों के लिए अनिवार्य है तथा सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से योग्य होना चाहिये। उपरोक्त कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेंगे तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सलाह ले सकेंगे। अभ्यर्थी को आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिये। आँखों की दृष्टि बिना चश्में के एक आँख की 6/9 तथा दूसरी आँख की बिना चश्में के 6/12 से कम नहीं होना चाहिये। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिये।

(8) शैक्षणिक अर्हताएं– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये, जैसा कि अनुसूची–दो में दर्शित है:

परन्तु यह कि अपवादित मामलों में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुशंसा पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को योग्य मान सकेगी, जिसके पास, यद्यपि, अपेक्षित अर्हता नहीं हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो समिति की राय में चयन के लिये उस पर विचार करने हेतु कारण दर्शित करता हो।

10. निरर्हता.– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

11. अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा.– परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, चयन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे समिति द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

12. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.– (1) पदों में भर्ती के लिये पुलिस मुख्यालय रायपुर के विशेष शाखा द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। राज्य में कोई विशिष्ट कानून व्यवस्था अथवा कोई अन्य समस्या होने की स्थिति में, पुलिस मुख्यालय भर्ती कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर सकेगा।

(2) विज्ञापन जारी होने की तारीख को पदों की वास्तविक रिक्तियों के आधार पर विज्ञापन जारी किया जायेगा। जनवरी में होने वाली भर्ती के लिये, 30 अक्टूबर की स्थिति में रिक्तियों की जानकारी, नवम्बर में मंगायी जायेगी। दूरस्थ स्थित ग्रामीण क्षेत्रों तक जानकारी के सुगम प्रसार के प्रयोजन के लिये, रिक्तियों की जानकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, तहसील एवं ब्लॉक कार्यालयों के सूचना पटल पर चिपकाये जायेंगे।

(3) केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को ही शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा भत्ता दिया जायेगा।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने की दृष्टि से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये नियम 13 के अन्तर्गत आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जायेगा।

13. समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.– (1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों तथा महिला, भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलरूवरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, की एक सूची, मेरिट क्रम में तैयार करेगी जिसकी वैधता, शासन को नियुक्ति हेतु सूची के भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(3) समिति द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्गों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसे चयन सूची के जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष या आगामी चयन प्रक्रिया के प्रारंभ होने तक, इसमें जो भी पहले हो, की होगी।

(4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(5) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

14. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.– (1) सीधी भर्ती के लिये अंतिम मेरिट सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों एवं बोनस अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। नियुक्तियॉं, पदों की उपलब्धता के अन्तर्गत रहते हुए मेरिट सूची से की जाएगी, किन्तु केवल उन्हीं अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों, जिन्होंने 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, पर विचार किया जायेगा।

(2) एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्म तिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा। यदि जन्मतिथि एवं प्राप्तांक दोनों ही समान हों, तो आवेदन पत्र के पंजीयन क्रमांक के आधार पर वरिष्ठता अवधारित की जायेगी।

(3) चयन सूची की वैधता, चयन सूची जारी किये जाने के तिथि से एक वर्ष की होगी।

(4) किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो तथा जिसको परिवीक्षा नियुक्ति पत्र भेजा गया हो, की वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, समिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति के लिये अनुशंसित किये जा सकेंगे।

15. परिवीक्षा अवधि तथा प्रशिक्षण.–(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका चरित्र प्रमाणपत्र सत्यापन रिपोर्ट अनुकूल है तथा जिसे सेवा में सीधे भर्ती किया गया है, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी को, संबंधित इकाई में आमद देने के पूर्व, स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा, जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।

(3) विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों में, नियुक्ति के पश्चात् विहित प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के लिये विहित लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षा में असफल रहने तथा समय–समय पर यथा विहित मानदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ होने की स्थिति में, प्रशिक्षण कालावधि बढ़ाई जा सकेगी या उसे सेवोन्मुक्त किया जा सकेगा।

16 निर्वचन.– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत होता है तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

17. शिथिलीकरण.– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

18. निरसन तथा व्यावृत्ति.–(1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 2–62/दो–गृह/रापुसे/2017. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02–04–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप–सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिए)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आरक्षक (जी.डी.)	127	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 19,500/–	
2.	आरक्षक (चालक)	39	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 19,500/–	
3.	आरक्षक (सहायक)	04	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 19,500/–	

अनुसूची–दो
(नियम 8 देखिए)

स. क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आरक्षक (जी.डी.)	127	18 वर्ष	28 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये (अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी भी, जो 8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हो, पात्र होंगे)	
2.	आरक्षक (चालक)	39	18 वर्ष	28 वर्ष	(1)किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये (अनुसूचित जनंजाति के अभ्यर्थी भी, जो 8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हो, पात्र होंगे) (2) भारी वाहन चालन का लायसेंस हो।	
3.	आरक्षक (सहायक)	04	18 वर्ष	28 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये (अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी भी, जो 8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हो, पात्र होंगे)	

अनुसूची–तीन
(नियम 3 एवं 6 देखिये)

स. क्र.	मद (पुरूष अभ्यर्थी)	अंक	मद (महिला अभ्यर्थी)	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लम्बी कूद	20	लम्बी कूद	20
	3 मीटर 75 सेमी. से कम	00	2 मीटर 50 सेमी. से कम	00
	3 मीटर 75 सेमी. तक	07	2 मीटर 50 सेमी. तक	07
	4 मीटर तक	11	2 मीटर 75 सेमी. तक	11
	4 मीटर 50 सेमी. तक	14	3 मीटर 25 सेमी. तक	14
	5 मीटर तक	17	3 मीटर 75 सेमी. तक	17
	5 मीटर 50 सेमी. या अधिक	20	4 मीटर 25 सेमी. या अधिक	20
2.	ऊँची कूद	20	ऊँची कूद	20
	1 मीटर 20 सेमी. से कम	00	1 मीटर से कम	00
	1 मीटर 20 सेमी. तक	07	1 मीटर तक	07
	1 मीटर 25 सेमी. तक	11	1 मीटर 05 सेमी. तक	11
	1 मीटर 30 सेमी. तक	14	1 मीटर 10 सेमी. तक	14
	1 मीटर 35 सेमी. तक	17	1 मीटर 15 सेमी. तक	17
	1 मीटर 40 सेमी. तक	20	1 मीटर 20 सेमी. तक	20
3.	गोला फेंक (वजन 16 पाउन्ड)	20	गोला फेंक (वजन 8 पाउन्ड)	20
	05 मीटर से कम	00	04 मीटर से कम	00
	05 मीटर तक	07	04 मीटर तक	07
	06 मीटर तक	11	05 मीटर तक	11
	07 मीटर तक	14	06 मीटर तक	14
	08 मीटर तक	17	07 मीटर तक	17
	09 मीटर या अधिक	20	08 मीटर या अधिक	20
4.	100 मीटर दौड़	20	100 मीटर दौड़	20
	12 सेकेण्ड या कम	20	14 सेकेण्ड या कम	20
	14 सेकण्ड तक	14	16 सेकेण्ड तक	14
	16 सेकेण्ड तक	07	18 सेकेण्ड तक	07
	16 सेकेण्ड से अधिक	00	18 सेकेण्ड से अधिक	00
5.	800 मीटर दौड़	20	800 मीटर दौड़	20
	2 मिनट, 10 सेकेण्ड तक	20	2 मिनट, 40 सेकेण्ड तक	20
	2 मिनट, 40 सेकेण्ड तक	14	3 मिनट, 10 सेकेण्ड तक	14
	3 मिनट, 10 सेकेण्ड तक	07	3 मिनट, 40 सेकेण्ड तक	07
	3 मिनट, 10 सेकेण्ड से अधिक	00	3 मिनट, 40 सेकेण्ड से अधिक	00

नमूना कार्ड
छत्तीसगढ़ पुलिस

हाल ही में खिंचवाया हुआ, बिना रंगीन चश्मा लगाया हुआ, पासपोर्ट साईज का फोटो. फोटो पर हस्ताक्षर इस प्रकार करें कि आधा हस्ताक्षर फोटो पर और आधा हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर आवें ।

विशेष शाखा आरक्षक/आरक्षक (चालक)/आरक्षक (सहायक)
चयन परीक्षाः माह.................................वर्ष..
जिला ....परीक्षा प्रवेश एवं प्रदर्शन पत्र/कार्ड
स. क्र. ....रोल नम्बर ....
अभ्यर्थी का नाम ....
अभ्यर्थी के माता एवं पिता का नाम ....
....
श्रेणी/वर्ग ....
पुरूष/महिला.. जन्म तिथि ....
शैक्षणिक अर्हता ....
परीक्षा की तिथि .... परीक्षा का स्थान.......................................
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर ....
दस्तावेज जांच करने वाले टीम प्रभारी का हस्ताक्षर ....

नोट– शारीरिक परीक्षा के पूर्व, यह कार्ड, आवेदक को शारीरिक माप के पश्चात् दिया जायेगा तथा इसे शारीरिक दक्षता परीक्षा के उपरांत उस पर उसका हस्ताक्षर लेकर वापस ले लिया जायेगा। लिखित परीक्षा के समय इस कार्ड पर, अभ्यर्थी तथा परीक्षा कक्ष के प्रभारी के हस्ताक्षर लिये जायेंगे ।

शारीरिक माप का विवरण

उंचाई ....सेमी.

सीना–बिना फुलाये......................................सेमी.
फुलाने पर...सेमी.

माप करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर...

परीक्षा का विवरण–

स. क्र.	मद का नाम	समय/माप	प्राप्त अंक	उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण	हस्ताक्षर
1	100 मीटर दौड़				
2	800 मीटर दौड़				
3	लम्बी कूद				
4	ऊंची कूद				
5	गोला फेंक				

क्या लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ, यदि हां, तो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :–
शारीरिक परीक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर ....
लिखित परीक्षा कक्ष प्रभारी के हस्ताक्षर ....
प्रभारी के हस्ताक्षर ....
प्रभारी के हस्ताक्षर ....

आवेदन पत्र का नमूना

(यह स्वयं आवेदक द्वारा स्पष्ट (सुपाठ्य) अक्षरों में भरा जाये)

प्रति,

सहायक पुलिस महानिरीक्षक,
(गुप्तवार्ता), छत्तीसगढ़ रायपुर

हाल ही में खिंचवाया हुआ पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का नाम (1) हिन्दी में : ....
   (2) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) : ....
3. पिता का नाम : ....
4. जन्मतिथि अंकों में : ....
   शब्दों में : ....
   ....को आयु वर्ष ....माह...............दिन.................
5. पहचान चिन्ह : ....
   ....
6. शैक्षणिक योग्यता :—

विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	परीक्षा का नाम/उत्तीर्ण कक्षा
	कक्षा 8वीं उत्तीर्ण
	कक्षा 10वीं उत्तीर्ण
	कक्षा 12वीं उत्तीर्ण
	अन्य अर्हता

7. पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान पता : ....
   ....
8. स्थायी पता : ....
   ....
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन :—
   (क) पंजीयन क्र. : ....
   (ख) पंजीयन दिनांक : ....
   (ग) वैधता दिनांक : ....तक
10. क्या आप शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसार : हां/नहीं
    अजा/अजजा/अपिव वर्ग के सदस्य हैं? यदि हां, तो वर्ग ....
    (प्रमाणपत्र संलग्न करें)
11. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? : हां/नहीं
    (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करें)
12. क्या आप होमगार्ड के सैनिक हैं/रह चुके है? : हां/नहीं
    (यदि हां, तो सेनानी, होमगार्ड द्वारा जारी सेवा अवधि का प्रमाणपत्र संलग्न करें)
13. क्या आपने किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल : हां/नहीं
    स्पर्धा में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है?
    (यदि हां, तो प्रमाणपत्र संलग्न करें)
14. क्या आप शासकीय/अर्द्ध–शासकीय/ : हां/नहीं
    छ.ग. राज्य/निगम/मंडल के स्थाई/अस्थाई कर्मचारी हैं? (यदि हां, तो विवरण देवें तथा अपने विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

15. क्या आप कभी शासकीय सेवा के लिये मेडिकल बोर्ड/मेडिकल प्राधिकारी द्वारा अयोग्य ठहराये गये हैं? (यदि हां, तो पूर्ण विवरण दीजिए) : हां/नहीं

16. क्या आप किसी अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किये गये हैं? क्या आपको अभियोजित किया गया है? (यदि हां, तो जुर्माना हुआ है या आप किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं? यदि ऐसा है तो, अपराध क्र., धारा, थाना एवं जिला आदि सहित, पूर्ण विवरण दीजिए) : हां/नहीं

17. क्या आप पर वर्तमान में किसी न्यायालय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में आपके विरूद्ध कोई प्रकरण लंबित है? (यदि ऐसा है तो विवरण दीजिए) : हां/नहीं

18. क्या आप विवाहित है? (यदि विवाहित है, तो संतानों का विवरण दीजिए) : हां/नहीं
    1. संतान की कुल संख्या : ....
    2. अंतिम संतान की जन्मतिथि : ....

घोषणापत्र

मैं, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं पूर्ण है। मैं, ऐसी किसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ, जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिये मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो। मैं, इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपरोक्त उल्लिखित कोई भी जानकारी, किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी को अधिकार होगा कि मुझे बिना कोई सूचना दिये या बिना विशिष्ट कारण बताये, मेरी सेवा समाप्त करे तथा उनका निर्णय, मुझ पर बंधनकारी होगा।

....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)
नाम ....
दिनांक ....

संलग्न :–
(प्रमाणपत्रों का विवरण एवं संख्या)
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

परिशिष्ट–''क''

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय			
स.क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	टिप्पणी
1	आरक्षक (जीडी)		
2	आरक्षक (चालक)		
3	आरक्षक (सहायक)		
	योग		

Naya Raipur, the 2nd April 2018

NOTIFICATION

F 2-62/Two Home/S.P.S./2017. — In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules in relation to the Chhattisgarh Special Branch Constable Cadre Services, namely :-

RULES

1. Short title, extent and commencement. - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Special Branch Constable Cadre Service Recruitment Rules, 2018.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" means "Assistant Inspector General of Police" (Intelligence);

(b) "Examination" means Competitive examination conducted for the recruitment under the rule 12 of these rules;

(c) "First stage" means Physical Measurement and Physical Efficiency Test;

(d) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(e) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(f) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(g) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(h) "Second stage" means Written Examination;

(i) "Service" means the Chhattisgarh Special Branch Constable Cadre Services;

(j) "State" means State of Chhattisgarh.

3. Scope and application.-Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the service. - The service shall consists of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or an officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay, etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Selection Committee. - (1) Inspector General of Police or Deputy Inspector General of Police (Intelligence) shall constitute the following selection committee for the purpose of direct recruitment under these rules, namely :-

(i)	Assistant Inspector General of Police (Intelligence)	-Chairman
(ii)	An officer not below the rank of Additional Superintendent of Police	-Member
(iii)	An officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police	-Member

Provided that, out of the above mentioned two members, one member of selection committee shall be from Scheduled Castes or Scheduled Tribes category. In case of non-availability of the officers at the level of Additional Superintendent/ Deputy Superintendent of Police then the equivalent rank officer of other units may be considered for Selection Committee.

(2) Chairman of Selection Committee may constitute sub-committees in accordance with their requirement for the purpose of keeping records of the Physical Measurement and Physical Efficiency Test. The members of the above formed sub-committee shall be responsible for authenticity of the records of valuation. In desired cases, Selection Committee shall be free to remeasure.

(3) Additional Director General of Police (Intelligence) can constitute a Selection Committee other than above mentioned Selection Committee by general or special order.

7. Method of recruitment.- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) by the direct recruitment through Selection in Competitive Examination conducted by the Selection Committee;

(b) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, then he may, with the prior concurrence of the General Administration Department of the Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(4) Candidates desiring for recruitment should apply in the form prescribed by the Government or the Appointing Authority concerned for competitive examination and the post for which he is applying should clearly specified.

(5) If it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any discrepancy is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated without giving any prior intimation by the Appointing Authority.

(6) The Selection Procedure for Competitive Examination under clause (a) of sub-rule (1) shall be as follows, namely :-

(i) Scrutiny of application:-After the scrutiny of received application, the candidates who fulfills all criteria mentioned under these rules will be allowed to take part in the first stage of selection procedure. After the receipt of application, the entire procedure, as far as possible, shall be computerized.

(ii) Valuation of Physical Measurement:- Under first phase, physical measurement of candidates (except the eye vision test and other related tests of eyes), whose application form and documents are found correct and who fulfils criteria. The permission letter for appearing into next procedure will be issued to only those candidates who have been succeeded in test.

(iii) Physical Efficiency Test:- (A) The Physical Efficiency Test shall be of total 100 marks and which shall be distributed as under,-

(a) Long Jump - 20 Marks

(b) High Jump - 20 Marks

(c) Short Put - 20 Marks

(d) 100 Meter Race - 20 Marks

(e) 800 Meter Race - 20 Marks

And marks shall be allotted in terms of Schedule-III.

(B) Only one attempt per competition will be given to candidates and it is mandatory for candidates to appear in all competition.

(C) Minimum marks required out of prescribed 100 marks for a candidate to succeed in the test shall be as follows,-

(a) for unreserved 60 marks; and

(b) for Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes 50 marks.

(D) If any candidate is not satisfied with his performance valuation in the said test, he can appeal before the Selection Committee, which will address the issue immediately whose decision shall be final.

(E) The Physical Efficiency Test shall be conducted during day time that means between sunrise and sunset and in sufficient sun light.

(F) A multipurpose card shall be maintained to keep the record of Physical Proficiency Test immediately, to remove any dispute and to serve as admission card for written examination. It is mandatory to use this card.

(iv) Written Test- (1) (A) Fifteen times of the advertised vacancy, candidates shall be allowed to participate in the written examination. The merit list for written test shall be prepared category wise on the basis of the result of Physical Proficiency Test.

(B) Candidates, obtaining the equal minimum marks will be eligible for written test even if the number of candidates exceeds 15 times of advertised vacancy.

(C) The written test shall be of 100 marks and time duration shall be 02 hours. The multiple choices questions related to General Knowledge, Arithmetic, Intelligence quotient and analysis.

(2) The answers to the questions shall be written by the candidates by ink pen. The evaluation officer of the answer sheet of written test shall sign answer sheets. The question paper and the model answer for said two tests shall be prepared by the officer of the rank of Inspector General of Police/ Deputy Inspector General of Police. The written test may be conducted by Department or by the appointed/authorized agency of the Government.

(3) It is mandatory for the candidates appearing for the post of Constable (Driver) to have the heavy vehicle driving license and they have to appear in the test for said trade, which shall be of 100 marks.

(4) (A) For Trade test, the Inspector General of Police /Deputy Inspector General of Police (Intelligence) shall constitute a Sub-Committee consisting of three members and it shall be mandatory to have one experienced employee of such trade in the said Sub-Committee.

(B) The Candidates of trade post shall be exempted from written test and they shall also be eligible for the bonus marks.

(v) Bonus Marks- (1) Ten Bonus Marks shall be given for the following heads. However candidate shall not be eligible to get more than ten marks as bonus marks even if he possesses more than two below mentioned special eligibility, namely :-

(A) Proficiency in National level Sports (The winners of National Level Sports competition, which are directly organized by the all India Sports Association of any sport) and only the winner candidate shall be entitled for bonus marks;

(B) The "Heavy Vehicle" driving license holder for motor driving (Only for constable G.D. and Assistant constable);

(C) N.C.C "C" certificate holder;

(D) Diploma in computer (only the certificates issued by institutes recognized by the Department of Technical Education and Manpower Planning will be valid).

(2) The diploma Certificate issued by recognized board of Technical Education or State Technical University in Computer Science/ Information Technology/ Modern office Management.

(3) The PG Diploma, Bachelor's Degree or Post Graduation Degree issued by any Recognized University/ Deemed University/ Open University in Computer Science/ Information Technology/ Computer Application.

(4) The Various Diploma Certificates issued by Department of Electronics and Accreditation of Computer Classes (DOEACC) Society, New Delhi.

(5) One year certificate issued by recognized Industrial Training Institute in Computer operator and program assistant.

(vi) Selection List- (1) Total marks will be 200 and 10 marks of Bonus will be calculated separately. The selection list will be prepared on the basis of result of Physical Efficiency Test of 100 marks, written test of 100 marks and bonus marks of *10 marks(Only on entitlement).*

(2) At first, a list of candidates eligible for unreserved posts from the candidates of all categories, shall be prepared, The candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall also be included in this list, who are entitled on the merit basis and fulfill all the qualifications of unreserved posts. Separate lists shall be prepared for advertised reserved posts from the remaining candidate of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidate for their respective caste category.

(vii) Implementation Procedure for 25% reservation for Home Guards, 10% for ex-servicemen and 30% for women – After the preparation of above selection list, category wise implementation of reservation for home guards and ex-serviceman shall be made applicable,-

(A) Home Guards (a) There shall be 25% reservation for the Home Guards.

(b) If sufficient numbers of Home Guard candidates are not available for giving 25% reservation in the above list then the merit list for all Home Guards candidates, who appeared in the examination shall be prepared separately. From the list so separately prepared, required number of candidates to fulfill the requirement of 25% reservation shall be shortlisted on merit basis, whose name shall be included in the aforesaid selection list of unreserved and reserved category. Only the Home Guards having served for three years will be entitled for reservation against Home Guards quota.

(B) Ex-Serviceman-(A) There shall be reservation of 10% for Ex-serviceman category wise.

(2) The above mentioned replacement procedure will be done only for those categories, in which 10% Ex-serviceman are already not present.

Note: - The remaining post of Home Guards and Ex-serviceman will not be carry forwarded for coming years if the eligible candidates for reservation are not available. In case of non availability of candidates for availing reservation, the vacant posts will be filled with the other candidates.

(C) Women- There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. Hence the separate lists will be prepared for reserved posts for women and in case of non availability of eligible candidates, the vacant posts will not be carry forwarded for coming years and the such category wise vacant post will be filled by the male candidates of said category:

Provided that, the department, with prior approval of Cabinet, may reduce this limit of 30% by 10%.

(viii) Approval of Selection List: - (1) The selection list will be prepared immediately after the conduct of examination and as per the schedule prepared by the Police Headquarters, the same will be sent to Additional Director General of Police (Intelligence)/ Inspector General of Police /Deputy Inspector General of Police (Intelligence) for their approval, with all requisite records.

(2) The Additional Director General of Police (Intelligence)/ Inspector General of Police /Deputy Inspector General of Police (Intelligence) as per schedule prescribed by Police Headquarters will issue approval order after examination of selection list. The Inspector General of Police (Intelligence)/Deputy Inspector General of Police (Intelligence) will do the following examination at the time as approval –

(A) Is the recruitment has been done as per rules?

(B) Are the rules related to reservation followed in recruitment?

(C) Is there any serious irregularities or complaint raised during recruitment which prime facie seems to be true?

(D) Is there any other self-explanatory, omission, error or negligence being observed ?

Provided that, Inspector General of Police (Intelligence)/ Deputy Inspector General of Police (Intelligence) may issue an order to cancel the recruitment, if he is not satisfied with answers of any of the above mentioned questions. The said cancellation order will also be endorsed to Police Headquarters. The cancellation of recruitment on the basis of arithmetical error will be made effective only when it is established that it is making adverse effect in the selection of candidates. The recruitment will not be cancelled on the basis of complaints without evidences or on the basis of rumors.

(3) The selection list will be fully approved or fully disapproved. Inspector General of Police (Intelligence)/Deputy Inspector General of Police (Intelligence) will not be able to issue order for revaluation or re-examination. Prior to approval, the Inspector General of Police (Intelligence)/Deputy Inspector General of Police (Intelligence) may call all requisite records and rough work, for its examination.

8. Appointment in Service.- (1) All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 7. The appointment order shall be issued in seniority order in selection list. The character verification and medical examination of the candidates will be conducted/completed prior to the issue of appointment order. An appointment order to the candidates shall be issued only after confirming about the no adverse remarks in Character Verification and confirming physical fitness as per prescribed measurements and candidate shall be ordered to report to the Special Branch zone.

(2) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable with regard to roster of districts/units.

9. Conditions of eligibility for Direct Recruitment.- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1) The Applicant must be bonafide resident of State of Chhattisgarh.

(2) The candidate should have good conduct and good past record.

(3) Age- (a) The candidate must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-II and must not have attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 36 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 36 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "retrenched government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation -The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service, namely :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(A) Completion of short term engagement;
(B) Fulfilling the conditions of the enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);

(v) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-Servicemen invalidated out of service due to disability;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;

(g) The provisions of circulars issued from time to time by General Administration Department under sports policy in regard to relaxation in age will be followed;

(h) The upper age limit shall be relaxed up to 36 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(i) Relaxation in age limit will be made for a maximum of within 8 years for the duration of service rendered by volunteer Home Guards and non-commissioned officers of Home-Guard but their age should not exceed by 36 years in any case. The Volunteer Home guards and non-commissioned officers of Home Guards should be given relaxation in upper age limit for the appointment in government service, equivalent to total years of duration of service rendered by them in Home Guard, that means, the Home-Guard/ Non-Commissioned officer who has rendered one year Home Guard service will be given a maximum of one year age relaxation, who has rendered two year of service shall be given a total of two years age relaxation and so on as per the service period rendered by them.

(j) The Provisions of circulars issued from time to time in regard to age relaxation by the General Administrative department will also be applicable.

Note- The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (d) of clause (3) of rule 9 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(4) Age limit will not be relaxed in any other cases.

(5) The departmental candidates have to obtain prior permission from their Appointing Authority for applying in the selection process.

(6) In the cases of Government/Semi Government or Ex-servicemen, serving or ex-employees dismissed from service on disciplinary, disqualification or medical ground will be disqualified for this service.

EXPLANATION.-The advantage of relaxation in upper age limit will not be applicable to other volunteers or employees or teaching staff or Panchayat staff working on contract or on honorarium basis of government.

(7) Physical Qualification:-The candidate must possess' the following minimum physical qualification, namely :-

(a) Height-

(i) 168 cm or more (for the male candidates of Scheduled Castes, Other Backward Classes and Unreserved categories);

(ii) 153 cm or more (for female and male candidates of Scheduled Tribes category of South Bastar Dantewada, Narayanpur, Bijapur, Bastar, North Bastar Kanker, Koria, Sarguja and Jaspur revenue districts);

(iii) 158 cm. or more (for the male candidates of Scheduled Tribes Category of remaining revenue districts and for the female candidates of all the categories)

(b) Chest :-

(i) 81 cm without expansion (76 cm for Scheduled Tribes candidates) and 86 cm with expansion (81cm for Scheduled Tribes Candidates). There should be minimum 5 cm difference between expansion and without expansion of chest of the candidate and no relaxation will be given in this context. Female candidates will be exempted from this physical qualification.

Note: - (1) Relaxation may be given only by Director General of Police in special cases with regards to physical measurements under clause (a) and (b);

(2) The decision of Chairman of Recruitment will be final for measurement of height and chest.

(c) The candidate should not be physically challenged.

(d) The candidate should not have flat foot or knock-knee. Qualification regarding knock-knee and flat foot is mandatory for all the posts and all the candidates should be medically fit. The competent Authority themselves will take decision of unfit candidates due to above said causes and may take advise from District Chief Medical Officer in case of need. Candidate should not have any disease related to eyes. The eye vision power should not be less than 6/9 for one eye and 6/12 for another eye without spectacles. The candidate should be able to distinguish between major colours.

(8) Educational Qualifications.- The candidate must possess the educational qualifications as prescribed for the service as shown in Schedule-II:

Provided that, in exceptional cases, the Committee, on recommendation of the Appointing Authority, may consider a candidate as fit, who however do not possess the required qualification but has cleared the examination conducted by other organizations in such a way that gives reasons to the Committee to form opinion for considering him for the Selection.

10. Disqualification.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority to a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

11. The decision of Committee in regard to the eligibility of candidate shall be final. - The decision of the Selection Committee as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Committee shall not be allowed to appear in the examination/selection.

12. Direct Recruitment through Competitive Examination.-(1) The advertisement for Recruitment to the post shall be published by Special Branch of Police Headquarters Raipur. In case of any special Law and Order situation or any other problem in the State, the Police Headquarters may make necessary amendments in recruitment programme.

(2) The advertisement of post shall be done on the basis of actual vacancies as on the date of advertisement. The Information for the vacancy as on 30th of October will be called in November for the recruitment going to be done in January. For the purpose of easy circulation of information to the remotely located rural areas, the information of the vacancies shall be pasted on the notice board of office of District Superintendent of Police, District Collector, Tehsil and Block offices.

(3) The actual Transportation Allowances will be given only to Scheduled Tribes, Scheduled Castes and Other Backward Classes category candidates, as per the orders of Government.

(4) The candidates of Scheduled Tribe/Scheduled Caste and Other Backward Classes category who are declared eligible by appointing authority in view of maintaining efficiency in administration will be appointed in the reserved vacancies under the rule 13 for Scheduled Tribes/Scheduled Castes and Other Backward Classes.

13. List of candidates, recommended by committee.-(1) The Committee shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates, who have qualified by such standards as may be determine by the Committee and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Committee for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Committee for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be for one year from the date of issue of such select list or till the commencement of the next selection procedure, whichever is earlier.

(4) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(5) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

14. Appointment in Service from Selection List.- (1) Final merit list for direct recruitment will be prepared on the basis of marks obtained in physical Efficiency Test, Written examination and Bonus Marks. The appointments will be made from the merit list within the availability of posts, but the appointments will be considered only for those unreserved category candidates, who have obtained a minimum of 60 percent marks and 50 percent marks in case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) candidates in Physical Efficiency Test.

(2) The mutual seniority of the candidates obtaining equal marks in total will be determined on the basis of their date of birth. The candidates of higher age will be considered as senior. If both, the date of birth and the obtained marks are same then the seniority will be determined on the basis of registration number of the application.

(3) The validity of the Selection List shall be for one year from the date of issue of Selection List.

(4) Any candidate, whose name is included in the selection list and has been served with probationer appointment letter, do not join the duty within the valid period or resigns or for any reason or he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Committee/Appointing Authority for appointment.

15. Probation period and training.- (1) Every person whose character certificate verification report is favourable and is recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

(2) Before reporting to the unit concerned, the candidate has to clear the medical examination, in which it is mandatory to be fully fit.

(3) The prescribed training will be given in specified training institutes and in other units after the appointment. The training duration may be increased or he may be discharged from the service in case of being unsuccessful in prescribed written, oral and practical examination and in case of inability of fulfilling the training aims of criteria as prescribed from time to time.

16. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

17. Relaxation.-Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

18. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall effect reservation and other concession provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

SCHEDULE - I
(See rule 5)

S. No.	Name of posts included in the service	Total number of posts	Classification	Pay scale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Constable (G.D.)	127	Class-III	Pay Matrix level-4 19,500/-	
2.	Constable (Driver)	39	Class-III	Pay Matrix level-4 19,500/-	
3.	Constable (Assistant)	04	Class-III	Pay Matrix level-4 19,500/-	

SCHEDULE - II
(See rule 8)

S. No.	Name of post	Number of post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Constable (G.D.)	127	18 years	28 years	Should have passed 10th Class or Higher Secondary examination or equivalent examination under 10+2 system from any recognized Board. (Scheduled Tribes candidates having passed 8th standard examination shall also be eligible)	
2.	Constable (Driver)	39	18 years	28 years	(1) Should have passed 10th Class or Higher Secondary Examination or equivalent examination under 10+2 system from any recognized Board (Scheduled Tribes candidates having passed 8th standard examination shall also be eligible). (2) Should have Heavy Motor Vehicle Driving License.	
3.	Constable (Assistant)	04	18 years	28 years	Should have passed 10th Class or Higher Secondary Examination or equivalent examination under 10+2 system from any recognized Board (Scheduled Tribes candidates having passed 8th standard examination shall also be eligible).	

SCHEDULE –III
(See rule 3 and 6)

Sl. No.	Item (Male Candidates)	Marks	Item (Female Candidates)	Marks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	LONG JUMP	20	LONG JUMP	20
	Less than 3M 75Cms	00	Less than 2M 50Cms	00
	up to 3M 75 Cms.	07	up to 2M 50 Cms.	07
	up to 4Mtrs	11	up to 2Mtrs 75 Cms.	11
	up to 4 Mtrs. 50 Cms.	14	up to 3 Mtrs. 25 Cms.	14
	up to 5 Mtrs.	17	up to 3 Mtrs. 75 Cms.	17
	5 Mtrs. 50 Cms. or more	20	4 Mtrs. 25Cms. or more	20
2.	HIGH JUMP	20	HIGH JUMP	20
	Less than 1 M 20 CM.	00	Less than 1 M	00
	up to 1M 20 Cms.	07	up to 1M	07
	up to 1M 25 cms.	11	up to 1M 05 cms.	11
	up to 1 M 30 Cms.	14	up to 1 M 10 Cms.	14
	up to 1 M 35 Cms.	17	up to 1 M 15 Cms.	17
	up to 1 M 40 Cms.	20	up to 1 M 20 Cms.	20
3.	(Shot Put) (weight 16 Lbs.)	20	(Shot Put) (weight 8 Lbs.)	20
	Less than 05 Mtr.	00	Less than 04 Mtr.	00
	up to 05 Mtrs.	07	up to 04 Mtrs.	07
	up to 06 Mtrs.	11	up to 05 Mtrs.	11
	up to 07 Mtrs.	14	up to 06 Mtrs.	14
	up to 08 Mtrs.	17	up to 07 Mtrs.	17
	9 Mtrs. or More	20	8 Mtrs. or More	20
4.	100 Meter Race	20	100 Meter Race	20
	12 Seconds or less	20	14 Seconds or less	20
	up to 14 Seconds	14	up to 16 Seconds	14
	up to 16 Seconds	07	up to 18 Seconds	07
	More than 16 Seconds	00	More than 18 Seconds	00
5.	800 Meter Race	20	800 Meter Race	20
	up to 2 Minutes, 10 Sec.	20	up to 2 Min. 40 Sec.	20
	up to 2 Min. 40 Sec.	14	up to 3 Min, 10 Sec.	14
	up to 3 Min., 10 Sec.	07	up to 3 Min. 40 Sec.	07
	More than 3 Min, 10 Sec.	00	More than 3 Min. 40 Sec.	00

SPECIMEN CARD
Chhattisgarh Police

Recent Passport size photo without wearing any colour spectacle. Sign on photo in such a way that half of the signature is on photo and the other half is on application

Special Branch Constable/Constable (Driver)/ Constable(Assistant)
Selection Examination : Month ------------------ Year --------------------------------
District --------------------------- Examination Admission and Exhibition letter/Card.
Sl.No. ------------------ Roll No. ---
Name of the Candidate --
Name of Mother and Father of the candidate--
Category/Class --
Male/Female -------------------- Date of Birth ---
Educational Qualification --
Date of Examination -------------------- Place of Examination ------------------------
Signature of the Candidate ---
Signature of documents Scrutinizing Team In charge ----------------------------------

Note- Prior to Physical Examination, this card shall be given to the candidate after the Physical Measurement and it will be taken back with their signature on it after Physical Efficiency Test. Signature of the candidate and In-charge of the Examination hall, will be taken on this card at the time of written examination.

DETAILS OF PHYSICAL MEASUREMENTS :-

Height ---------------- CMs.

Chest-Without Expansion -----------CMs
With Expansion --------------------CMs

Name and Signature of Measuring Officer -----------------------

Details of Examination -

Sl. No.	Name of the Item	Time/Measurement	Marks Obtained	Passed/ Failed	Signature
1	100 Meter Race				
2	800 Meter Race				
3	Long Jump				
4	High Jump				
5	Shot Put				

Has appeared in written Examination, if yes, then signature of the candidate:-

Signature of Physical Exam. Incharge ---------------------------------------

Signature of Written Exam. Hall Incharge ----------------------------------

Signature of Incharge --

Signature of Incharge --

SPECIMEN OF APPLICATION

(This will be filled by candidate himself in legible letters)

To,

1. The Assistant Inspector General
(Intelligence), Chhattisgarh Raipur

Paste here recent Passport size photo

1- Name of the post applied for : ____________

2- Name of the candidate (1) In Hindi : ____________
(2) In English (capital letters) : ____________

3- Father's Name : ____________

4- Date of Birth- In figure : ____________
In Words : ____________

Age as on- : ---------------- Years -------------- Months ------------- Days

5- Identification Marks : ____________
: ____________

6- Educational Qualification :-

Name of the School / College	Name of the Examination / Class passed
	Class 8th Passed
	Class 10th Passed
	Class 12th Passed
	Other qualification

7. Present Address for correspondence : ____________
____

8- Permanent Address : ____________
____

9. Live Registration of Employment Exchange:-
(a) Registration No. : ____________
(b) Date of Registration : ____________
(c) Valid up to (Date) : ____________

10- Are you the member of SC/ST/OBC Category, as recognized by Government? (Enclose Certificate) : Yes / No
If yes, then category________

11- Are you Ex-serviceman? (If yes, then enclose the certificate Issued by Competent Authority) : Yes / No

12- Are you/have you been Home-guard (If yes, then enclose the certificate of Service period issued by Home-Guard Commandant) : Yes / No

13- Have you represented your state in any Recognized National Game Competition? (If yes, then enclose the certificate) : Yes / No

14. Are you a permanent / temporary employee of Government/Semi-government/C.G.State/ Corporation/Board?(If yes, then give details and enclose NOC of your Head of the Office) : Yes / No

15. Have you ever been disqualified by Medical Board/ Medical Authority for government service ? (If yes, then give full details) : Yes / No

16. Have you ever been arrested in any Criminal case? Have you been prosecuted? (If yes, then have you been fined or you have been convicted by court ? If so, give full Details, along with case Sl. No., Section No, Thana, District etc.) : Yes / No

17. Is there any case pending against you in the Court/ University/ College/ Educational Institute? (If so, give details) : Yes / No

18. Are you married ? : Yes / No
If married, then furnish the details of Child/children-
1. Total number of children : ____________________
2. Date of birth of last child : ____________________

DECLARATION

I, hereby, declare that the above said information are true and complete to the best of my knowledge and believe. I am not aware of any such circumstances which may diminish my suitability for getting employment under Government. I agree that if any of the abovementioned information is found false or incomplete with regard to any basic facts then the Appointing Authority shall have the right to terminate my service without giving any notice or mentioning any specific reason and his decision will be bound to me.

____
(Signature of the Candidate)
Name - ____________________
Date - ____________________

Enclosures: -
(Details and Number of Certificate)
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________

APPENDIX-"A"

SPECIAL BRANCH POLICE HEADQUARTERS			
S. N.	Name of Post	Number of Sanctioned Post	Note
1	Constable (G.D.)		
2	Constable (Driver.)		
3	Constable (Assistant)		
	Total		